न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 85/2009 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2009/00103

उनवान

1. रामरती वेवा भीमसेन } जातिगण ब्राहम्ण निवासी इटायपाडा पुराना शहर धौलपुर।
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भीमसेन }
3. राकेश कुमार पुत्र भीमसेन जाति ब्राहम्ण निवासी इटायपाडा पुराना शहर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर (मृतक)
   3/1. श्रीमती ऊषा शर्मा पत्नी स्व0 राकेश कुमार }
   3/2. प्रशान्त तिवारी } पुत्र स्व0 राकेश कुमार } जाति ब्राहम्ण निवासी जे के सिटी आरएसी कमाण्डेंट की कोठी के सामने औंडेला रोड धौलपुर।
   3/3. निशान्त तिवारी }
   3/4. श्रीमती नीतू शर्मा पुत्री स्व0 राकेश कुमार पत्नी विनय शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी रेल्वे स्टेशन के पास बांदीकुई जिला दौसा।
4. मनोज कुमार }
5. सन्तोष कुमार } पुत्रगण स्व0 श्री भीमसैन जातिगण ब्राहम्ण निवासी इटायपाडा पुराना शहर
6. विमल कुमार } धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
7. कमलेश पुत्री स्व0 श्री भीमसैन पत्नी श्री हेमेन्द्र कटारा वर्तमान निवास ए/3 श्री जी नगर दुर्गापुरा जयपुर ।
8. वीनेश पुत्री स्व0 श्री भीमसैन पत्नी श्री राजीव कटारा वर्तमान निवास राम मन्दिर के पास गडरपुरा धौलपुर।
9. राजकुमारी पुत्री स्व0 श्री भीमसैन पत्नी श्री प्रवीण भारद्वाज वर्तमान निवास रतन पान वाले की गली ढेर के बालाजी जयपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. नाथू पुत्र चन्द्रभान समस्त जाति मल्लाह निवासी कामरे का पुरा तहसील व जिला धौलपुर।
2. गिरवर पुत्र चन्द्रभान समस्त जाति मल्लाह निवासी कामरे का पुरा तहसील व जिला धौलपुर।
   2/1. पातीराम }
   2/2. भीकाराम } पुत्र गिरवर } जाति मल्लाह निवासी ग्राम कामरे का पुरा तहसील व जिला धौलपुर।
   2/3. भोगीराम }
3. लालाराम पुत्र चन्द्रभान
4. पप्पू }
5. हरी } पुत्र मुन्ना जाति मल्लाह निवासी ग्राम कामरे का पुरा तहसील व जिला धौलपुर।
6. शिवराम }
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर दि0 16.06.2009 प्र.सं. 156/2007 उनवानी भीमसैन बनाम नाथू।

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

स्थित :–

1. श्री गिरीश व्यास एवं हरी सिंह बघेला वकील अपीलांट।
2. रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–25.11.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम शेखपुर तहसील धौलपुर के खातेदार काश्तकार चिरोंजी पुत्र बलवंत थे, जो विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते थे। विवादित भूमि के साथ अन्य भूमि साविक खसरा नम्बर 321 व 322 के खातेदार स्व0 चिरोंजी बल्द बलवंत थे। जिन्होनें विवादित भूमि के साविक खसरा नम्बर 321, 322, 323, 324/1, 324/2 का विक्रय जरिये विक्रय विलेख दिनांक 17.03.1969 को वादी अपीलाण्ट के पक्ष में कर दिया, तभी से वादी अपीलाण्ट विवादित आराजी पर एकांतिक रूप से काबिज काश्त है। स्व0 चिरोजीं द्वारा विवादित भूमि के साविक खसरा नम्बर का विक्रय वादी अपीलाण्ट के पक्ष में स्वस्थ्य चित की अवस्था में किया था। स्व0 चिरोजीं द्वारा विवादित भूमि का विक्रय पत्र वादी अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादन के वक्त एकातिंक रूप से काबिज था एक वर्ष पहले स्व0 चिरोंजी के साथ प्रतिवादी संख्या 05 मेघ सिंह के पिता फतेह सिंह की शरीक काश्त रही। जिससे विवादित भूमि में 1/2 भाग का खातेदार सहवन से गलत दर्ज हो गया। किन्तु वास्तविक रूप से स्व0 फतेह सिंह अथवा उसके पुत्र का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं था। वक्त निष्पादन विक्रय पत्र उक्त कथन की स्वीकारोक्ति करते हुये बतौर रजामन्दी प्रतिवादी संख्या 05 मेघ सिंह ने विक्रय पत्र पर गवाहन के रूप में हस्ताक्षर किये। चिरोंजी पुत्र बलवन्त का देहान्त हो चुका है। जिसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में मु0 भग्गो वेवा एवं मु0 चन्दो पुत्री को छोडा है। मु0 भग्गो वेवा चिरोंजी का निधन 1977 में निःसन्तान एवं बिना मनोनित किये उत्तराधिकारी के हो गया। मु0 चन्दो का भी निधन 1976 में हो गया। प्रतिवादी संख्या 05 के पिता फतेह सिंह का देहान्त विक्रय पत्र निष्पादन से पूर्व हो गया है। वादी अपीलाण्ट ने विक्रय पत्र की प्रति पटवारी हल्का को दी थी। परन्तु उन्होनें दाखिला नहीं खोला। जब प्रतिवादी रैस्पो0 ने धमकी दी, तब जाकर वादी अपीलाण्ट को उक्त तथ्य की जानकारी हो पायी। उक्त गलत इंद्राजो का लाभ लेते हुये स्व0 भग्गो एवं मु0 चन्दो पुत्री चिरोंजी ने विवादित आराजी का विक्रय प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 के पक्ष में कर दिया, जो खिलाफ कानून एवं अवैध है। अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर खसरा नम्बर 171, 173 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी, आराजी के पूर्व खातेदार चिरोंजी से रजिस्टर्ड वयनामा क्रय की थी एवं तभी से अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। विक्रय पत्र पर मेघ सिंह पुत्र फतेह सिंह ने बतौर साक्षी हस्ताक्षर कर वादी अपीलाण्ट को आधिपत्य व स्वामित्व स्वीकार किया है। पटवारी हल्का ने नामान्तकरण केवल खसरा नम्बर 172, 174 पर दिनांक 17.03.1969 को स्वीकार किया एवं शेष विवादित भूमि खसरा नम्बर 171,173 पर स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात् चिरोंजी की मृत्यु हो गयी एवं उसकी मृत्यु उपरान्त उसके वारिसो के नाम विवादित आराजी का नामान्तकरण खुल गया एवं जो गलत इंद्राज फतेह सिंह के रहे उनकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिस मेघ सिंह के नाम दर्ज हो गये। उक्त गलत इंद्राजो के आधार पर प्रतिवादी रैस्पो0 ने विवादित आराजी का अवैध रूप से विक्रय कर दिया, जो वादी अपीलाण्ट के मुकाबले शून्य है। विवादित आराजी पर आदिनांक तक कब्जा अपीलाण्ट का ही है। रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा खारिज किये जाने में विधिक भूल की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट की प्रमुखता से यह आपत्ति रही है कि अपीलाण्ट के पिता भीमसैन द्वारा चिरोंजी वल्द बलबंत से विवादित आराजी साविक आराजी खसरा नम्बर 321, 322, 323, 324/1 का रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.03.1969 को कराया था एवं वयनामा में विवादित आराजी में फतेह सिंह को शरीक कर लिया था। जिसकी वजह से उसके नाम इंद्राज हो गये। जबकि उसका विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। फतेह सिंह के फौत होने के पश्चात् उसके पुत्र मेघ सिंह के नाम इंद्राज हो गये। अपीलाण्ट का यह कहना गलत है कि मेघ सिंह ने वयनामा में विवादित आराजी में अपने हकूक ना होने बाबत रजामन्दी दे रखी है। वयनामा में ऐसा मेघ सिंह द्वारा कोई कथन नहीं किया जाकर केवल गवाह के तौर पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। इसके अलावा नकल नामान्तकरण संख्या 108 के अनुसार फतेह सिंह की विरासत पर मेघ सिंह का नाम अंकित किया गया है। वादीगण ने उक्त नामान्तकरण को आदिनांक तक सक्षम न्यायालय में चुनौती दी हो। ऐसा भी दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वादीगण अपीलाण्ट सम्पूर्ण भूमि का वयनामा अपने पक्ष में होना कथन करते हैं। परन्तु वयनामा के आधार पर नामान्तकरण केवल खसरा नम्बर 172 व 174 पर ही खोला गया है एवं जो नामान्तकरण संख्या 38 सम्पूर्ण आराजी का खोला गया था, उसे पंचायत शेखपुर द्वारा अस्वीकार कर दिया। वादीगण अपीलाण्ट ने ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह सिद्ध होता हो कि फतेह सिंह के नाम जो इंद्राज जमाबन्दी में आये वह किस प्रकार गलत थे एवं क्या सम्पूर्ण आराजी को चिरौंजी को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त था एवं वयनामा से पूर्व विवादित आराजी किसके नाम दर्ज रही, कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण अपीलाण्ट के पिता भीमसैन के नाम वयनामा के आधार पर सम्पूर्ण आराजी पर नामान्तकरण स्वीकार ना होकर केवल दो खसरा नम्बरो पर ही क्यों तस्दीक

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

किया एवं किन कारणो से दो खसरा नम्बरो पर नहीं खोला गया। इस बाबत् भी वादीगण अपीलाण्ट ने कोई तथ्य/कथन अथवा दस्तावेजी साक्ष्य अपील में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। चिरौंजी के देहान्त के बाद विवादित शेष खसरा नम्बरो पर भग्गो एवं चन्दो के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया है एवं तत्पश्चात् उन्होनें उक्त खसरा नम्बरो को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 6 को विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय किस प्रकार शून्य है एवं भग्गो व चन्दो का नाम किस आधार पर आराजी में दर्ज हुये। इस बाबत् भी वादीगण अपीलाण्ट अपील में मौन रहे हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण अपीलाण्ट ने वाद पत्र ना तो स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया है एवं ना ही वह अपने वाद पत्र को सिद्ध करने में सफल हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसे हम किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2009 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)